№ 016149

सत्यमेव जयते

# संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

( ऐक्ट 21, 1860 )

संख्या 2074 | वर्ष 2010-11

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि "बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड" नया सचिवालय विकास भवन, मानव संसाधन विकास विभाग, पटना।

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई।

आज तारीख अठारह मास फरवरी वर्ष दो हजार ग्यारह को पटना में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया।

वास्ते, महानिरीक्षक, निबन्धन, बिहार, पटना।

पत्र संख्या बी0एस0-3-10223/2011-271
निबंधन महानिरीक्षक बिहार का कार्यालय
बिहार,पटना
( दाखिल करने का प्रमाण पत्र )

बिहार मुक्त विद्यालयी
शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड
.................................................. के सबध में ।

पटना,दिनांक 21/2/2011

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित आलेख्य सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट २१,१८६० के उपबधो के अनुसार आज यथावत दाखिल/निर्बंधित/अभिलिखित किया गया / किये गये ।

फीस का ज्ञाप-50 (पचास रूपये केवल)

संस्था का स्मृति पत्र/नियमावली एवं आम सभा के प्रस्ताव की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि ।

सेवा में,
दिनेश सिंह बिष्ट
सदस्य सचिव-सह-मुख्य
कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण
एवं परीक्षा बोर्ड
नया सचिवालय, विकास भवन
मानव संसाधन विकास विभाग, पटना

वास्ते महानिरीक्षक निबंधन
बिहार,पटना।

की सेवा में उनके पत्र संख्या ........................ दिनांक 14/02/11 के प्रसंग में अग्रसारित ।

निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न है प्राप्ति की सूचना दें ।

वास्ते महानिरीक्षक निबंधन
बिहार,पटना।

अनुलग्नक–II

# बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के एसोशिएसन के अनुच्छेद

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत बिहार राज्य सरकार द्वारा एक प्रायोजित सोसायटी है।

**I व्याख्याएं --**

1. जब तक यहाँ परिभाषाएँ विषय या संदर्भ के विरूद्ध नहीं हो निम्नलिखित शब्द का अर्थ उनके सामने लिखे अर्थ जैसा होगा –

(क) "सोसायटी" का अर्थ होगा, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड,

(ख) "अध्यक्ष" का मतलब है बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष,

(ग) 'मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी' का मतलब है बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,

(घ) "सामान्य निकाय" का मतलब है बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड की सामान्य निकाय,

(ङ) "कार्यकारी बोर्ड" का मतलब है बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड का कार्यकारी बोर्ड,

(च) "सरकार" का मतलब होगा बिहार सरकार,

(छ) एकवचन दर्शाने वाले शब्द बहुवचन सम्मिलित किए हुए माने जाएंगे तथा ऐसा ही वाइस वर्षा होगा एवं प्रसंग के अनुसार, पुल्लिंग दर्शाने वाले शब्द स्त्रीलिंग दर्शाने वाले शब्दों को सम्मिलित किए हुए होंगे यदि प्रसंग अन्यथा न हो।

2. **सोसायटी के प्राधिकार**

(क) सामान्य निकाय

(ख) कार्यकारी बोर्ड

(ग) स्थायी समितियां, वित्त समिति सहित, और अन्य समितियों या उप समितियॉ जो कार्यकारी बोर्ड किसी भी एक या अधिक कार्यों के निर्वहन के लिए गठित कर सकता है।

3. **सामान्य निकाय के सदस्य**

सामान्य निकाय के निम्न सदस्य होंगेः –

1. *मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग – अध्यक्ष*
2. *प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार, – उपाध्यक्ष*
3. *प्रधान सचिव, वित्त या उनके प्रतिनिधि – सदस्य*
4. *प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग या उनके प्रतिनिधि – सदस्य*
5. *प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग या उनके प्रतिनिधि – सदस्य*
6. *राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् – सदस्य*
7. *निदेशक, एनसीईआरटी या उनके प्रतिनिधि – सदस्य*
8. *राज्य परियोजना निदेशक , बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद – सदस्य*

5. **सामान्य निकाय की शक्तियां और कार्य**

(क) सामान्य निकाय, को सोसायटी को पेशेवर सलाह देने एवं सहायता करने की जिम्मेदारी होगी, यह सोसायटी को एक दृष्टि एवं व्यापक नीति निर्देश देगी।

(ख) यह प्राप्त वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन की जांच करेगा और समीक्षात्मक टिप्पणी देगा।

(ग) यह सोसायटी के वार्षिक बजट को स्वीकार करेगा एवं इसपर सहमति देगा।

(घ) सामान्यतया, सामान्य निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि सोसायटी सामान्य जन के प्रति जिम्मेदार हो और अपनी शक्तियों एवं कार्यों का कार्यान्वयन सोसायटी के कार्य एवं उद्देश्यों के अनुरूप और राष्ट्रीय एवं राज्य के अभिलेखों में निहित शर्तों के अनुसार करें।

6. **बैठक**

(क) सामान्य निकाय की एक वार्षिक बैठक ऐसी तिथि एवं समय पर आयोजित की जाएगी जैसा अध्यक्ष निर्धारित करेंगें एवं इसके दौरान मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सोसायटी का वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, एवं आने वाले वर्ष का बजट प्राकलन प्रस्तुत करेंगे।

(ख) सामान्यतया अध्यक्ष द्वारा सामान्य निकाय की अध्यक्षता की जाएगी परन्तु उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेंगें।

(ग) बैठक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की सलाह पर अध्यक्ष के निदेश पर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के हस्ताक्षर से बुलाई जाएगी।

(घ) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की सलाह पर, यदि अध्यक्ष ऐसा आवश्यक समझते हों, आठ या उससे अधिक सदस्यों के लिखित अनुरोध पर सोसायटी की बैठक बुला सकते हैं।

(ङ) सोसायटी की प्रत्येक बैठक में एक तिहाई सदस्यों से कोरम बनेगा। कोरम के अभाव में स्थगित बैठक का कोई कोरम नहीं होगा।

(च) विवाद के सभी बिन्दुओं पर निर्णय मतदान के माध्यम से होगा। बराबरी के स्थिति में अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(छ) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की सलाह पर अध्यक्ष आवश्यकता महसूस करने पर बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियों को सोसायटी की बैठक में विचार के लिए बुला सकता है परन्तु कि ऐसे व्यक्ति को मतदान का अधिकार नहीं होगा।

7. **कार्यकारी बोर्ड की संरचना**

कार्यकारी बोर्ड के निम्नलिखित सदस्य होंगे –

1. बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी – अध्यक्ष
2. सचिव ,बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड – सदस्य सचिव

3–5बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष — सदस्य(तीन)

6. मानव संसाधन विकास विभाग के एक नामित सदस्य

7 वित्त विभाग बिहार सरकार के एक नामित सदस्य

8. राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद – सदस्य

9.राज्य परियोजना निदेशक ,बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद – सदस्य

10-बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड की सलाह पर बिहार सरकार द्वारा नामित एक प्रमुख विद्वान (एकैडेमिषियन) – सदस्य

8. **कार्यकारी बोर्ड के अधिकार एवं कार्य**

(क) सामान्यतया कार्यकारी बोर्ड में सोसायटी की सभी शक्तियां, नीति निर्धारण सहित निहित होंगी जो इसके कार्यों को करने और इसे सुचारू एवं प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक हो। हालांकि यह अपने शक्तियों का प्रयोग इसके मिशन, कार्य एवं उद्‌देश्य की प्राप्ति के लिए सामान्य निकाय से समय–समय पर प्राप्त सलाह के आधार पर करेगी।

(ख) कार्यकारी बोर्ड की निम्नलिखित महत्वपूर्ण शक्तियां एवं कार्य होंगे–

- विभिन्न कार्यक्रमों की परिकल्पना करना और उनका क्रियान्वयन करना,
- सभी प्रशासनिक एवं वित्तीय निर्णय लेना,
- सभी अकादमिक कार्यक्रमों का निर्माण एवं उनके क्रियान्वयन करना

(ग) बजट की तैयारी एवं स्वीकृति के लिए प्राकलन तैयार करना, व्यय की स्वीकृति देना, संविदा तैयार करना एवं उसे लागू करना, सोसायटी के निधि का नियोजन करना या ऐसे नियोजन की बिक्री या परिवर्तन करना एवं लेखा संधारित करना तथा लेखा परीक्षण करवाना।

(घ) समय समय पर अपने द्वारा बनाई गई विभिन्न समितियों के सदस्यों की सेवा शर्तों, शक्तियां, कार्य एवं व्यवहार को निर्धारित करना।

(ङ) सभी श्रेणियों के अकादमिक, प्रशासनिक, तकनीकि, पर्यवेक्षकीय एंव मिनिस्टेरियल पदो का सृजन एवं इन पदों पर नियोजन के लिए चयन। पदसृजन सरकार की पूर्वानुमति से होगा।

(च) कोष, अनुदान एवं भतों की स्थापना एवं उनका प्रबंधन।

(छ) सोसायटी के लिए मुहर का चयन एवं इसके उचित उपयोग एंव अभिरक्षा की व्यवस्था

(ज) सोसायटी के कार्यों के निष्पादन के लिए भवन, परिसर, फर्नीचर, उपस्कर एवं अन्य आवश्यक सामानों की व्यवस्था करना

(झ) सोसायटी के अन्य सभी कार्यों के निष्पादन एवं उद्‌देश्यों की प्राप्ति एवं प्रशासन हेतु व्यवस्था करना।

(ञ) कार्यकारी बोर्ड या कार्यकारी बोर्ड के द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को बोर्ड के नियम एवं परिनियम के अन्दर अधिकार होगा कि वह सोसाइटी के सभी श्रेणियों के पदाधिकारियों को

नियुक्त करें एवं सोसायटी के कार्यों के संचालन के लिए बजट प्रावधान के अन्दर उनका दायित्व एवं पावना निर्धारित करें।

(ट) सोसायटी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के मुख्य कार्य पदाधिकारी को या किसी अन्य सदस्य को प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का प्रतिनिधायन कर सकता है या कार्य आवंटित कर सकता है जैसा वह उचित समझे तथा ऐसी शक्तियों एवं कर्तव्यों की सीमाओं का भी निर्धारण कर सकता है ।

(ठ) सोसायटी के ऐसे गैर कार्यालयी सदस्य जो किसी समिति के सदस्य होंगे को यात्रा भता एंव दैनिक भता जो उपविधि के अनुसार देय हो सोसायटी की बैठक में भाग लेने के लिए या सोसायटी के किसी अन्य कार्य के निष्पादन के लिए देय होगा।

(ड) सोसायटी एवं इसके कर्मियों के सुचारू रूप से संचालन, उनके नियोजन के अवधि का निर्धारण, पावना, भत्ते, व्यवहार के नियम एवं सोसायटी के अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तों के निर्धारण तथा सोसायटी के सदस्यों के कल्याण के लिए उपाय एवं मानदंड निर्धारित करने की शक्ति होगी।

**9. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति, शक्तियां और दायित्व**

(क) बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को उन नियमों और शर्तों पर बिहार सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा जो सरकार निर्धारित करेगी और यह 3 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो प्राप्त करने तक होगी।

(ख) बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी का मुख्य दायित्व सम्पूर्ण नेतृत्व प्रदान करना होगा जिसमें मुख्यतः—

1.— विचारों को पैदा करने में नेतृत्व प्रदान करना,

2.— नीति के विकास में एवं कार्यों के कार्यान्यवन में, सही निर्णय लेने में ,ससमय बैठक की समीक्षा करना,

3.— विभागाध्यक्षों के कार्यों पर नियंत्रण रखते हुए उनके व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विकास में विशेष मदद करना,

4.— सचिव एवं विभागाध्यक्षों के बीच शक्तियों एवं कार्यों का बॅटवारा एवं उनके कार्यों पर नियंत्रण रखते हुए सोसायटी को सुचारू रूप से चलाना, शामिल होंगे।

संक्षेप में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अपने पद में निहित सभी प्रशासनिक, वित्तीय एवं अकादमिक अधिकारों का प्रयोग सोसायटी के लक्ष्य और उद्देश्यों के माध्यम से सोसाईटी के मिशन की सम्पूर्णता से प्राप्त करने के लिए करेगा।

**10 सचिव की शक्तियां एवं दायित्व**

सचिव सोसाईटी का प्रशासनिक प्रमुख होगा और उन सभी विशेष शक्तियों एवं जिम्मेदारियों का निर्वहण करेगा जो उसे मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा दिया जाएगा । प्रशासनिक विभाग एवं लेखा के प्रमुख के रूप में वह नियमानुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

11. विभागों के प्रमुखों की शक्तियां एवं दायित्व

विभागाध्यक्षों की शक्तियां एवं जिम्मेदारियां निम्नवत होगीं –

1. अपने दल के सदस्यों के साथ नीति से संबंधित अभिलेख को विकसित करना एवं कार्यसूची को विकसित करना जो अल्पावधि या लंबी अवधि के हो सकते हैं । ये विभाग के अनुसार अलग–अलग हो सकते हैं। प्रत्येक विभाग के लिए आवश्यक होगा कि वह सभी कार्य, कार्यावली एवं दूसरे विभागों के साथ स्पष्ट सहयोग बिन्दुओं को चिन्हित करे।
2. जब इस तरह की नीतियों और कार्यक्रमों का अनुमोदन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा हो जाए तब विभागों के विभिन्न श्रोतों का प्रभावी रूप से उपयोग करने के लिए व्यवस्थित करे।
3. विभाग के सदस्यों और सभी श्रेणियों के प्रतिबद्ध सदस्यों की एक टीम बनाने के लिए;
4. अनुमोदित मानदंडों और शक्तियॉं के भीतर व्यय करने की सहमति दे।
5. विभाग के अंदर दूसरे एवं तीसरे विकल्पों को विकसित करने के लिए खास जिम्मेदारियों को डेलीगेट करना।
6. इसे अपनी एक मुख्य जिम्मेदारी मानते हुए विभाग के विभिन्न श्रेणी के कर्मियों के व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विकास के लिए अवसर प्रदान करना।
7. विभाग में आयोजित बैठकों के लिए सदस्य सचिव होना।
8. विभाग के ऐसे कार्यों एवं उद्देश्यों या सोसाईटी के अभिष्ठ ,उद्देश्य एवं मिशन को प्राप्त करने एवं बढ़ाने के लिए सभी शक्तियों का प्रयोग करने एवं जिम्मेदारी उठाने के लिए जो इनको प्रतिनिधायित शक्तियों के प्रतिकूल न हों।
9. यह सुनिश्चित करना कि उनका विभाग अन्य विभागों के साथ सहयोग कर रहा है।
10. विभाग के अंदर शक्तियों का प्रयोग एवं प्रर्यवेक्षण करना ताकि मुख्य कार्य पदाधिकारी द्वारा दिए गए निदेशों को सम्पूर्णता में सभी सदस्य पालन करें।

12. सोसाईटी द्वारा या के विरूद्ध मुकदमें

सोसायटी के सचिव के नाम से सोसाईटी मुकदमा कर सकती है और उन पर मुकदमा हो सकता है।

13. ठेके और समझौते

सोसायटी की ओर से ठेके और समझौते सोसाइटी के सचिव द्वारा सभी के लिए हस्ताक्षरित किया जाएगा.

14. खाते और लेखा परीक्षा

(i) सोसाईटी उचित खातों एवं अन्य संबंधित रिकार्ड संधारित करेगी तथा रिसीट पेमेंट एकाउन्ट,देनदारी, परिसम्पत्तियों के वक्तव्य जैसा कि सरकार निर्धारित करे, वार्षिक लेखा के लिए तैयार करेगी।

(ii) सोसायटी के खातों का वार्षिक लेखा परीक्षण, एजी कार्यालय ,बिहार या एजी के द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति द्वारा किया जायेगा और इस लेखा परीक्षण पर आया हुआ व्यय सोसाईटी द्वारा भुगतेय होगा।

(iii) सोसायटी के लेखा एवं लेखा परीक्षण के मामले में एजी कार्यालय ,बिहार या उसके द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति को वही अधिकार,विशेषाधिकार एवं प्राधिकार प्राप्त होगें जैसा कि सरकार के किसी अन्य स्वायत्त संस्था को होते हैं।

(iv) सोसायटी के खातों का महालेखाकार कार्यालय बिहार के द्वारा ,विधिवत लेखा परीक्षण कर बिहार सरकार को वार्षिक रूप से अग्रसारित किया जायेगा और सरकार लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ महीने के अंदर इसे विधानसभा के पटल पर रखेगी।

15. वार्षिक रिपोर्ट

सोसायटी सरकार को अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनो संस्करण में सालाना अपने काम करने की रिपोर्ट ,ऑडिट रिपोर्ट के साथ ,अपना खाता प्रस्तुत करेगी, लेखा वर्ष के समाप्ति के नौ माह के अंदर रखा जायेगा।

**16. सोसायटी का विघटन**

सोसायटी के विघटन की स्थिति में बिहार सरकार के संकल्प के अनुसार, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का XXI) की धारा के प्रावधान के अनुसार विघटन सरकार के सक्षम प्राधिकार की पूर्वानुमति से होगा एवं विघटन के पश्चात सोसायटी की परिसंपत्तियां एवं देनदारियां राज्य सरकार में समाहित हो जायेगी।

**17. अधिनियम का क्रियान्वयन**

'सोसायटी पंजीकरण अधिनियम ,1860 के अंदर सभी उपबंध जैसा कि बिहार राज्य के अंदर लागू होते हैं इस सोसायटी पर लागू होगें।

**18. आवश्यक प्रमाण पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि यह सोसायटी के नियमों एवं परिनियमों की सही नकल है।

सदस्य

सचिव–सह मुख्यकार्यपालक अधिकारी

अध्यक्ष

## प्रथम कार्यकारी समिति के सदस्यों की सूची

| कमांक | नम | व्यवसाय (पदनाम) | पता | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री दिनेश सिंह बिष्ट | मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड – अध्यक्ष | नया सचिवालय, मानव विकास भवन, कार्यालय विकास विभाग पटना | [signature] |
| 2. | | सचिव, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड – सदस्य सचिव | | |
| 3–5. | | बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष – सदस्य (तीन) | | |
| 6. | | मानव संसाधन विकास विभाग के एक नामित सदस्य | | |
| 7. | | वित्त विभाग, बिहार सरकार के एक नामित सदस्य | | |
| 8. | श्री राजेश भूषण | राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद – सदस्य | राज्य परियोजना निदेशक माध्यमिक शिक्षा परिषद पटना | [signature] |
| 9. | श्री राजेश भूषण | राज्य परियोजना निदेशक, बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद – सदस्य | बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, बिहार, पटना | [signature] |
| 10. | | बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड की सलाह पर बिहार सरकार द्वारा नामित एक प्रमुख विद्वान(एकेडेमिडिशियन) – सदस्य | | |

## सामान्य निकाय के प्रथम सदस्यों की सूची (आकांक्षी सूची)

| कमांक | नाम | व्यवसाय (पदनाम) | पता | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री पी0के0शाही | मंत्री–पदेन | मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना | पी0 के0 शाही |
| 2. | श्री अंजनी कुमार सिंह | प्रधान सचिव–पदेन | मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना | |
| 3. | | प्रधान सचिव, वित्त या उनके प्रतिनिधि – पदेन | वित्त विभाग, बिहार, पटना । | |
| 4. | | प्रधान सचिव, समाज कल्याण या उनके प्रतिनिधि – पदेन | समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना । | |
| 5. | | प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग या उनके प्रतिनिधि – पदेन | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना । | |
| 6. | श्री राजेश भूषण | राज्य परियोजना निदेशक – पदेन | बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना | |
| 7. | | निदेशक,एन0सी0ई0आर0टी0, या उनके प्रतिनिधि–पदेन | निदेशक,एन0सी0ई0आर0टी0, बिहार, पटना । | |
| 8. | श्री राजेश भूषण | राज्य परियोजना निदेशक, बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद–पदेन | राज्य परियोजना निदेशक, बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद | |
| 9. | | अध्यक्ष, बिहार राज्य मदरसा बोर्ड – पदेन | अध्यक्ष, बिहार राज्य मदरसा बोर्ड, पटना | |
| 10. | | कुलपति,नालंदा खुला विश्वविद्यालय या उनके प्रतिनिधि – पदने | कुलपति,नालंदा खुला विश्वविद्यालय, पटना । | |
| 11. | | कुलपति, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटना –पदेन | कुलपति, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटना | |
| 12–14. | | बिहार सरकार द्वारा मनोनीत गैर सरकारी संगठनों के तीन प्रतिनिधि (गैर पदेन सदस्य) | | |
| 15. | श्री ललन झा | निदेशक,एस0एल0एम0ए0, बिहार–पदेन | निदेशक,एस0एल0एम0ए0, बिहार, पटना | |
| 16. | | बिहार सरकार द्वारा नामित एक शिक्षाविद(गैर पदेन सदस्य) | | |
| 17. | श्री आशुतोष | निदेशक,प्राथमिक शिक्षा – पदेन | निदेशक,प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना । | |
| 18. | श्री कमल किशोर सिन्हा | निदेशक, माध्यमिक शिक्षा – पदेन | निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना । | |
| 19. | श्री दिनेश सिंह बिष्ट | मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड – सदस्य सचिव – पदेन | | |

उपरोक्त व्यक्ति मेरे सामने हस्ताक्षर किए हैं जिन्हें मैं जानता और पहचानता हूं।

14/2/2011

(दीपक कुमार सिंह)
उप निदेशक, उच्च शिक्षा

उपनिदेशक
मानव संसाधन विकास
(उच्चशिक्षा) विभाग
बिहार, पटना

मिलान किया
Sd/-

अनुलग्नक--I

## "बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड" के एसोशिएसन का ज्ञापन

1. सोसाईटी का नाम

सोसाईटी का नाम "बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड" होगा।

2. कार्य क्षेत्र

सोसाईटी का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण बिहार राज्य होगा।

3. स्थान नया सचिवालय, विकास भवन, मानव संसाधन विकास विभाग, पटना।

सोसायटी का मुख्यालय पटना में होगा और सोसाईटी को छूट होगी कि वह एक या एक से अधिक अधीनस्थ कार्यालय अथवा शाखाऐं पूरे राज्य में खोल सकती है।

4. लक्ष्य एवं उद्देश्य

सरकार के अनुरोध पर राज्य में विद्यालय स्तर पर, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा प्रणाली को समुचित रूप से विकसित करने हेतु सार्थक सलाह देना और सामान्य, व्यावसायिक एवं सतत् शिक्षा के विकास के लिए पाठ्यक्रमों को प्रस्तावित करना, जो स्नातक स्तर के नीचे (सर्टिफिकेट/डिप्लोमा) के स्तर तक का प्रमाण पत्र दे।

5. कार्यों की परिधि

(i) मुक्त विद्यालय शिक्षा एवं मुक्त शिक्षण के क्षेत्र में शोध, नवाचार एवं प्रयोग की जिम्मेदारी लेना तथा प्रमाणिक नवाचार गतिविधियों को बिहार एवं अन्य राज्यों में प्रसारित करना।

(ii) मुक्त विद्यालयी शिक्षा को ग्राह्य बनाने के लिए उपक्षेत्रीय भाषा में भी पाठ्यक्रमों का विकास करना।

(iii) राष्ट्रीय एवं राज्य मुक्त विद्यालयी संस्थाओं के साथ आम पाठ्यक्रम, मुद्रित अनुदेशात्मक सामग्री एंव मिडिया से जुड़ी सामग्री के विकास में साझेदारी करना।

(iv) प्रत्येक स्तर पर मुक्त विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में योजना बनाना एंव क्षमता संवधर्न के लिए गहन प्रशिक्षण आयोजित करना।

(v) मुक्त शिक्षण पर डाटाबेस तैयार करना।

(vi) अन्य राज्यों तथा "स्टेक होल्डर्स" के लिए स्वयं को एक प्रधान संसाधन/क्षमतावर्धन केन्द्र के रूप में स्थापित करना ताकि स्वयं को मुक्त शिक्षण व्यवस्था को पोषित करने वाले एक संसाधन संगठन के रूप में विकसित कर सके।

(vii) डिग्री पूर्व तक के स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का विकास और निर्धारण करना एवं उन्हें मुक्तधारा के माध्यम से छात्रों के लिए उपलब्ध कराना।

(viii) मुद्रित, गैर मुद्रित सामग्री एवं मीडिया का उपयोग कर अध्ययन सामग्री विकसित कराना

(ix) क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय केन्द्रों को शिक्षण सहायता केन्द्र एवं अध्ययन केन्द्रों के समुचित कार्यों को बढ़ावा देने के लिए खोलना।

मिलान किया

(x) 'बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड' द्वारा विकसित शिक्षण सामग्री एवं अन्य सामग्री का प्रकाशन करना या करवाना एवं मुद्रण करवाना।

(xi) छात्रों के पंजीकरण, परीक्षा में बैठने के लिए पात्रता, परीक्षा में उनकी उपस्थिति, परीक्षा का संचालन क्रेडिट ट्रांसफर, एवं सोसायटी के शिक्षण, परीक्षा तथा प्रमाणपत्र देने का कार्य के, संचालन के लिए, सोसायटी ने इन कार्यों की पूर्ति हेतु अनुकूल एवं आवश्यक नियमों एवं शर्तों का निर्धारण करना एवं विहित करना।

(xii) फीस एवं अन्य शुल्कों का निर्धारण करना जो कि नियमों द्वारा प्राधिकृत हों और जिनमें समय–समय पर संशोधन किया जा सकता है।

(xiii) विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विभिन्न श्रेणी के कर्मियों, आंतरिक एवं अन्य दोनों के लिए, आयोजन करना। सर्वशिक्षा अभियान के शिक्षकों/तथा प्राथमिक शिक्षकों को दूरस्थ माध्यम से प्रशिक्षण देना।

(xiv) परामर्शी सेवाएं प्रदान करना, एजेंसियों या संस्थानों, से मॉडल बनाने में, निकट सहयोग करना।

(xv) दूरस्थ शिक्षा और 'ओपन लर्निंग' से संबंधित जानकारी के प्रभावी प्रसार के लिए एक एजेंसी के रूप में कार्य करना और इसके लिए आवश्यकतानुसार बुलेटिन, पत्रिका एवं अन्य माध्यमों का प्रयोग करना।

(xvi) दूरस्थ शिक्षा प्रणाली एवं मुक्त विद्यालयों के मानकों की पहचान कर उनको बढ़ावा देना, अनुसंधान और मूल्यांकन के मानकों की पहचान कर बढ़ावा देना, ताकि उन्हें देश एवं राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थापित किया जा सके, और औपचारिक शिक्षा प्रणाली के मानकों से समतुल्यता बनाए रखते हुए भी अपने विशिष्ट चरित्र को बनाए रखना।

(xvii) दूरस्थ एवं मुक्त विद्यालयी प्रणाली में मानक निर्धारण एवं समन्वय का कार्य, राज्य में दूरस्थ एवं मुक्त विद्यालयी प्रणाली का स्तर बढ़ाना और एक 'Learning Society' के विकास में योगदान देना।

(xviii) सूचना प्रावैद्यिकी के प्रयोग को बढ़ावा देना ताकि अवरोध मुक्त शिक्षा का प्रसार हो और Knowledge Society' के विकास में योगदान दे सके।

(xix) सोसायटी के विभिन्न कार्यों के लिए परिसर का क्रय, अधिग्रहण या पट्टे पर लेना।

(xx) सोसायटी के कोष या राशि का निवेश करना एवं प्रबंधन करना।

(xxi) एक अनुसंधान एवं शिक्षण संसाधन पुस्तकालय की स्थापना करना जिसमें अन्य मीडिया की किताबें एवं अध्ययन सामग्री हो।

(xxii) सोसायटी के प्रयोजनों के लिए सरकार या अन्य किसी व्यक्ति से अनुदान, सदस्यता शुल्क, दान, उपहार, बिक्वैस्ट एवं संपतियां चल एवं अचल प्राप्त करना या स्वीकार करना।

(xxiii) सोसायटी के प्रयोजनों के लिए वर्तमान भवन बनाना, इसकी संरचना करना इसको बनाए रखना या बदलाव लाना, बढ़ाना, बेहतर करना, मरम्मती करना, या परिवर्तित करना और इसे ठीक से सुसज्जित करना।

(xxiv) सोसायटी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक समझे गए समितियों एवं उपसमितियों को बनाना और ऐसी समितियों के सुचारू रूप से संचालन के लिए नियम एंव निदेशिका बनाना।

(xxv) सोसायटी के कर्मियों के कल्याण, कर्मियों के प्रशासन, सेवा शर्त एवं उपविधियों का निर्माण, सोसायटी में निहित विभिन्न कार्यों एवं दायित्वों के उचित प्रबंधन हेतु उपविधियों का निर्माण तथा इनका समय –समय पर संशोधन।

(xxvi) सोसायटी के और ज्यादा प्रभावकारी प्रबंधन एवं कार्य निष्पादन के लिए अपनी कुछ या पूरी शक्तियों का किसी पदाधिकारी या समिति या उपसमिति को प्रतिनिधायन करना।

(xxvii) सोसायटी के कार्यों एवं उद्देश्यों की संप्राप्ति के लिए आवश्यकतानुसार ऐसे सभी वैद्यानिक कार्य जो की प्रारांगिक हो, करना।

(xxviii) सोसायटी की इस प्रकार परिकल्पना की गयी है कि उपरोक्त लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के प्राप्ति से सोसायटी अपने मिशन को पूरा कर सकेगी–जो प्रासंगिक, सतत् एवं विकासशील शिक्षा विद्यालय स्तर पर, (पूर्व स्नातक स्तर तक) मुक्त विद्यालयी शिक्षण प्रणाली के माध्यम से दी जा सके –जो प्राथमिकता के आधार पर बनाए गए लक्ष्य समूहों के लिए, औपचारिक शिक्षा प्रणाली के विकल्प के रूप, में राष्ट्रीय मानकों के अनुसरण में हों–जो जनसाधारण की आवश्यकताओं के आकलन के प्रत्युत्तर में हो,और इन सब के माध्यम से वह अपना योगदान दे सके शिक्षा के

- सार्वभौमिकरण में ,
- तथा समाज में अधिक समता तथा वृहत्तर न्याय दिलाने में कर सकें।

(xxix) राज्य में शैक्षणिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन में प्रशिक्षण, बैठक, सम्मेलन, नीति पुनरीक्षण, अध्ययन, सर्वेक्षण, कार्यशाला आदि का आयोजन। राज्य में शिक्षा के सशक्तिकरण के लिए अन्तर एवं वाह्य क्षेत्रों के अभिसरण जो परिमाण एवं संरचना संबंधित हो,को करना।

(xxx) उपरोक्त कार्यों को करने के लिए सोसायटी –

(i) सोसायटी के सचिवालय की स्थापना, प्रशासनिक एवं अन्य संबंधित कार्यों के निष्पादन के लिए करेगी,

(ii) सोसायटी के सचिवालय में, जैसा आवश्यक समझे, प्रशासनिक, तकनीकि एवं अन्य पदों का सृजन राज्य सरकार की सहमति से करेगी।

(iii) स्वयं अपने क्षतिपूर्वक पैकेज की स्थापना करेगी एवं कर्मियों का नियोजन अवधारण एवं पदच्युति करेगी।

(iv) स्वयं अपनी क्रय प्रक्रिया निर्धारित करेगी और सामग्री और सेवाओं का क्रयकरने के लिए उनका प्रयोग करेगा।

(v) सोसायटी अपने एवं सचिवालय की कार्यवाही के संचालन के लिए नियम एवं उपनियम बना सकती है, इसका निरसन कर सकती है, या समय–समय पर आवश्यकतानुसार इसे बदल सकती है।

6. नियम

सोसायटी राज्य सरकार की सहमति से अपना नियम स्वयं बनाएगी और संशोधित करेगी।

7. परिनियम

सोसायटी सामान्य निकाय की सहमति से स्वयं अपना परिनियम बनाएगी एवं संशोधित करेगी।

8. विघटन

सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के सेक्सन 14 ए के अनुरुप विघटन की स्थिति में सोसायटी की सभी परिसम्पति एवं देनदारियां राज्य सरकार में समाहित हो जाएंगी।

9. सामान्य निकाय के प्रथम सदस्य

सोसायटी के [illegible] निकाय के प्रथम सदस्य जिनके जिम्मे सोसायटी के प्रबंधन का कार्य दिया जा रहा है के नाम, पता, पेशा एवं पदनाम जैसा कि सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (No. XX1 of 1860 ) के [illegible] आवश्यक है, निम्नवत है –

| क0सं0 | नाम [illegible] | सामान्य निकाय में पद |
|---|---|---|
| 1 | [illegible] संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार | अध्यक्ष |
| 2 | [illegible] सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार | उपाध्यक्ष |
| 3 | मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, "बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड" | सदस्य सचिव |
| 4--15 | संबंधित विभागों के प्रधान सचिव / सचिव / निदेशक या उनके नामित | सदस्य |

| | | |
|---|---|---|
| | प्रतिनिधि सदस्य – वित्त विभाग, समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद, एन0सी0ई0आर0टी0,बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड,कुलपति नालन्दा मुक्त विश्वविद्यालय,कुलपति चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना, एस0एल0एम0ए0,प्राथमिक शिक्षा ,माध्यमिक शिक्षा | |
| 16--18 | राज्य सरकार द्वारा मनोनित गैर सरकारी संगठनों के तीन प्रतिनिधि | सदस्य |
| 19 | राज्य सरकार द्वारा मनोनित एक शिक्षा विद | सदस्य |

सामान्य निकाय के तीन सदस्य द्वारा सोसायटी के नियम की एक प्रति जो सही बताकर सत्यापित की गई है इस मेमोरेण्डम ऑफ ऐसोसिएशन के साथ दाखिल है।

10.घोषणा

हम , कुछ लोग जिनका नाम और पता नीचे दिया गया है और जो मेमोरेण्डम ऑफ ऐसोसिएशन में वर्णित उद्देश्य के लिए एक दूसरे से जुड़े है, अपना नाम मेमोरेण्डम ऑफ ऐसोसिएशन के लिए प्रस्तावित करते हैं एवं अपने अपने हाथ बढ़ा और मिला कर आपस में एक सोसायटी का निर्माण सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (NO. XX1 of 1860) के तहत आज ............................ तारीख को , ..................स्थल पर 2010 में करते है।

| क्र0 | नाम | पेशा / पता | समाज में स्थिति | हस्ताक्षर | द्वारा सत्यापित |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |

मिलान किया
Sahu